न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./72/2023

1. पुष्पा देवी पत्नी रामप्रसाद कोली जाति कोली निवासी चांपानेरी तहसील भिनाय केकड़ी

प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र अर्जुन
2. कालू पुत्र अर्जुन
3. नन्दा पुत्र बरदा
4. मीठी पत्नी स्व0 अर्जुन
5. रघुनाथ पुत्र बरदा
6. रतन पुत्र अर्जुन
7. लाला पुत्र बरदा
8. सुखपाल पुत्र अर्जुन
9. कन्हैयालाल पुत्र हगामा
10. किशनगोपाल पुत्र हगामा
11. धन्नालाल पुत्र हगामा
12. बाबूलाल पुत्र हगामा सभी जाति धोबी निवासीगण ग्राम चांपानेरी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री शिवचरण चौधरी

2. वकील अप्रार्थी– श्री राहुल आचार्य

3 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा चांपानेरी पटवार क्षेत्र चांपानेरी भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता सं0 1298 में दर्ज खसरा नं. 4828/4499 रकबा 0.11 और खसरा नं. 5045/5018 रकबा 1.58 कुल किता 2 कुल रकबा 1.69 हैक्ट जो कि प्रार्थीगणों के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता है। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 12 प्रार्थीयां की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 13 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थीयां को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली मे अप्रार्थी सं. 01 लगायत 12 की और से अधिवक्ता श्री राहुल आचार्य द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा पत्रावली में दर्ज प्रश्नगत आराजी में पत्थरगढी बाबत् अनापत्ति प्रस्तुत की। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों

अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम चांपानेरी के खाता संख्या 1298 संवत 2072–2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीयां की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा चांपानेरी पटवार क्षेत्र चांपानेरी भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी के खाता सं0 1298 में दर्ज खसरा नं. 4828/4499 रकबा 0.11 और खसरा नं. 5045/5018 रकबा 1.58 कुल किता 2 कुल रकबा 1.69 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार देवलियाकलां को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी